न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–विनोद कुमार आर.ए.एस

मुकदमा नम्बर 85/2019 राजस्व वाद

दायर दिनांक 5.8.2019

1– श्रीमती जमनी पुत्री मोहन माली निवासी नया समेलिया तहसील व जिला भीलवाडा।

––वादीया

बनाम

1– श्री श्रवण आत्मज मोहन माली निवासी समेलिया तहसील व जिला भीलवाडा।
2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

––प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः–
श्री रामावतार गोतम अधिवक्ता–वादिया
प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

:: निर्णय ::

दिनांक26.09.2023

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादिया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्व प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ग्राम हरणीखुर्द पटवार हल्का हरणीकलां, भू0अ0नि0 भीलवाडा, तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 487/1 रकबस 06 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि वादीया के नाम पर खातेदारी हक व कब्जे अनुसार उपयोग उपभोग में दर्ज होकर चली आ रही है तथा वादीया ने उक्त आराजियात की पत्थरगढी कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 135/2018 राजस्व प्रार्थना पत्र कायम हुए, जिसका निर्णय दिनांक 29 मई 2018 को हुआ। प्रतिवादी संख्या 01 जो कि वादीया का भाई है, उक्त भूमि दिनांक 19 अप्रेल 2018 को आपसी बटवाडे से दर्ज हुई है, जिसकी पत्थरगढी की जानकारी होते ही कब्जा कर भूमि में मिला लिया जिस पर दिनांक 21.06.2019 को पटवारी, गिरदारवर द्वारा नपती कर मोका पर्चा बनाया गया, जिसमें उक्त आराजी नं0 487/1 रकबा 06 बिस्वा 10 बिस्वांसी पर प्रतिवादी संख्या 01 का अवैध कब्जा पाया गया। जिसे वादीया पुनः अपने कब्जे में प्राप्त करने का अधिकारी है अंकित किया गया प्रतिवादी संख्या 01 को कई बार कब्जा हटा, वादीया को सिपुर्द करने हेतु कहने पर प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बार बार जल्दी ही कब्जा सोपने का आश्वासन दिया गया। लेकिन दिनांक 08 जुलाई 2019 को कब्जा सोपने हेतु कहने पर प्रतिवादी संख्या 01 साफ तौर इंकार कर दिया, वादी को प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध बिनाय दिनांक 21.6.2019 को मौका पर्चा बनाने व वादीया की आराजी पर अवैध कब्जा पाया जाने व दिनांक 08 जुलाई 2019 को कब्जा देने से इंकार कर देने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। इस प्रकार प्रतिवादी बल पूर्वक वादीया की उपरोक्त वर्णित आराजियात पर अनाधिकार व अवैधानिक रूप से स्थायी कब्जा करना चाह रही है, जिसको मौके से हटायी जाना आवश्यक हो गया है। क्योंकि इस प्रकार वादिया को हर वर्ष आराजियात का काश्त लाभ से वंचित होना पड रहा प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त भूमि से बेदखल किया जावे। डिकी बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 इस आशय की जारी फरमायी जावे कि ग्राम हरणीखुर्द, प0ह0 हरणीकलां, तहसील व जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 487/1 रकबा 06 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि से प्रतिवादी को बेदखल करते हुए कब्जा पुनः वादीया को

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

सिपुर्द किया जावे। स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 पारित फरमायी जावे।

वादीया का वाद पत्र पंजीबद्ध किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही की जा चुकी है।

वादीया ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। वादीया के बयान कलमबद्ध किये जाकर दस्तावेजात पर प्रदर्श करवाये गये पत्थरगढी प्र0सं0 135/2018 की प्रमाणित प्रति ईएक्स–01, पत्थरगढी की पालना रिपोर्ट ईएक्स–02, पर्चा मौका ईएक्स–03, नक्शा ट्रेस–ईएक्स–4, जमाबन्दी की नकल ईएक्स–5 प्रदर्श है।

वकील वादीया की बहस सुनी गई बहस के दौरान वादपत्र में वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादीया की ग्राम हरणीखुर्द प0ह0 हरणीकलां तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी नं0 487/1 रकबा 06 बिस्वा 10 बिस्वांसी यानी सम्पूर्ण रकबे पर विपक्षी संख्या 01 का अनाधिकृत कब्जा है प्रतिवादी संख्या 01 को बेदखल कर कब्जा पुनः वादीया को सिपुर्द किया जाने की प्रार्थना की है। वादीया ने लिखित बहस पेश की जिसका अवलोकन कर शामील फाईल किया गया। वादीया ने अपनी लिखित बहस में तथ्य अंकित किये है कि वादीया की आराजी संख्या 487/1 रकबा 06 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का सम्पूर्ण रकबे पर कब्जा है प्रतिवादी संख्या 01 को बेदखल कर कब्जा पुनः वादीया को सिपुर्द किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। वादीया अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन् किया। वादीया द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आरटीए एक्ट का प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया है।

:: राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 इस प्रकार है ::

183 कतिपय अतिक्रमीयो की बेदखली :–

(1) इस अधिनियम के किसी उपबंध में कोई विपरित बात अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई अतिक्रमी जिसने किसी भूमि को कब्जे में बिना वैध अधिकार के ले लिया है या रखा है(उस व्यक्ति या उक्त व्यक्तियो के वाद पर जो उसे आसामी के रूप में "बेदखली" करने के हकदार है) उपधारा 2 उपबंधो के अधिन रहते हुए बेदखली का भागी होगा और साथ ही प्रत्येक कृषि वर्ष जिसमें उसने पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग में इस प्रकार कब्जा रखा हो, के लिए शास्ति के तौर पर ऐसी रकम देना का भी भागी होगा जो वार्षिक लगान के 15 गुना तक हो सकती है।

(2) ऐसी भूमि जो सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की हुई हो या जिस पर राज्य सरकार तहसीलदार की मार्फत अतिक्रमी को आसामी के रूप में स्वीकार करने की हकदार है तहसीलदार राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956(राजस्थान एक्ट 15 सन् 1956) की धारा 91 उपबंधो के अनुसरण में कार्यवाही करने को अग्रसर होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का भली भांती परीक्षण किया गया। वादिया के वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पत्थरगढी पर्चा मौका दिनांक 21.06.2019 के अनुसार ग्राम हरणीखुर्द पटवार हल्का हरणीकलां भू0अ0नि0 भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 487/1 रकबा 06 बिस्वा 10 बिस्वंसी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 श्रवण पिता मोहन माली निवासी नया समेलिया का अनाधिकृत कब्जा सिद्ध होने से वादिया वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी 01 के स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएवं

उपखण्ड आ-.कारी
भीलवाड़ा

:: आदेश ::

वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम हरणीखुर्द पटवार हल्का हरणीकलां भू0अ0नि0 भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 487/1 रकबा 06 बिस्वा 10 बिस्वांसी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 श्रवण पिता मोहन माली निवासी नया समेलिया का अनाधिकृत कब्जे को हटाये जाने हेतु तहसीलदार भीलवाडा को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा प्रतिवादी संख्या 01 अतिकमी को राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिकी जारी हो।

20.09.23

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा